

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-3  
संख्या-242/2016/एच0एम0-229/चि0-3-16-टी0-1(219)/2016  
लखनऊ : दिनांक : 23 दिसम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-112/2016/वी0आई0पी0-111/चि0-3-16-41 रिट/2013, दिनांक 06-07-2016 द्वारा डा0 देवेन्द्र अग्रवाल, रेडियोलॉजिस्ट (वरि0क्र0-11049, ले0-3), अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, मथुरा का प्रशासनिक आधार पर जिला महिला चिकित्सालय, एटा किये गये स्थानान्तरण को सम्यक् विचारोपरान्त एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

विनोद कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव

संख्या-242/2016/एच0एम0-229(1)/चि0-3-16.तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आगरा मण्डल, आगरा/अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, मथुरा/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, एटा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा/एटा।
6. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा-मुख्य चिकित्साधिकारी, मथुरा।
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
9. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(जे0 एल0 यादव)  
अनुसचिव

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।